

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प..... पाटन अक्षर

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना R.A.S. उन्वान शंजोय बनाम शंजोय

दावा बाबत:- 53 R.T. Act

मुकदमा नम्बर:- 77/18

निर्णय दिनांक:- 25.5.2018

वादी की ओर से राजेश्वर की व प्रतिवादी की ओर से राजेश्वर

की उपस्थिति में आज तारीख 11/05/2018 को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विवाह 11/05/2000 ई० वर्ष के राजेश्वर व प्रतिवादी राजेश्वर के बीच हुआ है और राजेश्वर के हिस्से में रहेगी।

दल ख.नं. 119/1-03 प्रतिवादी लं. 2 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 433/0-17 वीधा प्रतिवादी लं. 1 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 269/0-16 वीधा प्रतिवादी लं. 2 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 358/2-03 वीधा के लं. 19 वीधा प्रतिवादी राजेश्वर व शंजोय के प्रतिवादी लं. 3 व 4 कुंभेश्वर के

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख को मैं हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

राजेश्वर के हिस्से में रहेगी। (विवाह 11/05/2000 ई० वर्ष के राजेश्वर व प्रतिवादी राजेश्वर के बीच हुआ है और राजेश्वर के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 119/1-03 प्रतिवादी लं. 2 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 433/0-17 वीधा प्रतिवादी लं. 1 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 269/0-16 वीधा प्रतिवादी लं. 2 राजपाल के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 358/2-03 वीधा के लं. 19 वीधा प्रतिवादी राजेश्वर व शंजोय के प्रतिवादी लं. 3 व 4 कुंभेश्वर के

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

प्रतिवादी